तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... जो इस ...
2.2.26	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष [illegible] पीठासीन अधिकारी 31.03.2018 [illegible] से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में [illegible] दिनांक 16.2.26 को पेश हो। [signature] 2.2.26	
16.2.26	पत्रावली पेश। गवाह देवी सिंह उप. पत्रावली वास्ते प्रतिवादी जिरह हेतु दिनांक 27.2.26 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर आबूपर्वत (सिरोही)	
27.2.26	पत्रावली पेश। गवाह देवीसिंह के बयान कलमबद्ध किये गये। पत्रावली में प्रतिवादी शहादत बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 13.3.26 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर आबूपर्वत (सिरोही)	
13.3.26	पत्रावली पेश। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 21.4.26 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर आबूपर्वत (सिरोही)	
21.4.26	पत्रावली [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस न्यायालय द्वारा वाद	

देवीसिंह

देवीसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2026.04.23 17:13:40 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 21/1996 अनवान सौभसिंह बनाम
हीरालाल में पारित आदेश दिनांक 27.02.2003
के अनुसार सिविल न्यायालय में वादग्रस्त
भूमि बाबत् विचाराधीन वाद संख्या 95/99
के निर्णय तक वाद संख्या 21/1996 वादी
पक्ष के हक में स्थायी निषेधाज्ञा पारित
की हुई है। पत्रावली के अवलोकन से
यह भी स्पष्ट होता है कि सिविल
न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या
95/99 (26/2002) का निर्णय होकर
वाद खारिज हुआ जिसकी प्रथम
अपील नं. 11/2014 (39/15) पेश
हुई, जो खारिज हुई। तत्पश्चात
द्वितीय अपील माननीय उच्च न्यायालय
में अपील नं. 84/2021 के रूप में पेश
हुई है। जो विचाराधीन है। जिस
अपील में पारित आदेश दिनांक
26.05.2023 के अनुसार वादग्रस्त
संपदा के संबंध में दोनों पक्षकारों
को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश
पारित हो रखे हैं, ऐसी परिस्थिति में
हस्तगत वाद के प्रतिवादी पक्ष का जो
वाद संख्या 95/99 था उसका अपील तक
अंतिम रूप से न्याय निर्णयन माननीय
उच्च न्यायालय से होना शेष है।। जिस
कारण हस्तगत वाद में गुण अवगुण पर
निर्णय पारित किये बिना [illegible] वाद
को माननीय [illegible],
उक्त अपील के अंतिम निस्तारण तक
स्थगित किया जाना न्यायोचित प्रतीत
होता है। अतः पत्रावली इस निर्देश
के साथ वापिस प्रस्तुत की जाती है

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2026.04.23 17:13:40 IST
Reason: SelfAttested

र सायल को —
पत्र

कि माननीय उच्च न्यायालय से अपील संख्या 84/2021 का न्याय निर्णय होने पर संबंधित पक्ष के द्वारा आवेदन किये जाने पर हस्तगत वाद की पत्रावली को पुनः नंबर पर लिया जाकर विधि अनुसार निर्णय व डिक्री पारित की जावेगी।

सहा.
अनूपपर्वत (लसराही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2026.04.23 17:13:40 IST
Reason: SelfAttested